कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

(13)

निगरानी प्रकरण क्र.

माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के समक्ष

PBR/निगरानी/इन्दौर/भू.रा/2017/3580

आयुक्त कार्या. 19-9-17 को प्राप्त 199

जीवनसिंह पिता स्मरणसिंह राजपूत

निवासी ग्राम शिवगढ तहसील, देपालपुर,

जिला इन्दौर --- प्रार्थी

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री ....
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 08-09-2017
को प्रस्तुत।
646
08-09-2017
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

विरूद्ध

1— रामेश्वर पिता तुसलीराम जाट

2— ममताबाई पिता रामेश्वर जाट

दोनों निवासी ग्राम शिवगढ, तहसील दपोलपुर

जिला इन्दौर --- प्रतिप्रार्थीगण

वाद पानी निकालने में अवरोध बाबद

आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भूराजस्व संहिता के तहत

श्री आनंद शर्मा अपर आयुक्त इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा द्वितीय राजस्व अपील क्र. 335/2014–15 में पारित ,आलौच्य आदेश दिनांक 12.07.2017 जिसके द्वारा उन्होंने प्रार्थी की द्वितीय अपील को निरस्त किया से असंतुष्ट एवं दुखित होकर प्रार्थी यह पुनरीक्षण याचिका निम्न तथा अन्य आधारों पर नियत अवधि में योग्य मुद्रापत्रों पर सादर प्रस्ततु करते है .—

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/निगरानी / इंदौर / भू.रा. / 2017 / 3480

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2–11–2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 12–7–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुए आदेश पारित किया गया है कि आवेदक द्वारा जो नाली खोदी गई है, उससे अनावेदकगण के खेत में पानी का बहाव होने से उन्हें नुकसान हो रहा है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नायब तहसीलदार के आदेश में यह संशोधन करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है कि आवेदक अपने खेत से पानी निकासी हेतु अनावेदकगण के खेत में पक्की नाली बनवाकर या पाईप डालकर पानी की निकासी की व्यवस्था करे । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा अपील निरस्त करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	